



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21122021-232048
CG-DL-E-21122021-232048

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 375]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 21, 2021/अग्रहायण 30, 1943

No. 375]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 21, 2021/AGRAHAYANA 30, 1943

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(आई पी एच डब्ल्यू विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2021

विषय: भारत में डिस्प्ले फैब्स स्थापित करने की योजना

फा. सं. डब्ल्यू-38/6/2021-आईपीएचडब्ल्यू.—1. पृष्ठभूमि

- 1.1 इलेक्ट्रॉनिकी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में व्याप्त है और इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग का आर्थिक और रणनीतिक महत्व है। वर्तमान में लगभग 2 ट्रिलियन (150 लाख करोड़ रुपये) अमरीकी डालर का मूल्य, वैश्विक इलेक्ट्रॉनिकी बाजार में 5जी, आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, स्मार्ट मोबिलिटी, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, आदि सहित उभरती प्रौद्योगिकियों की बढ़ती पैठ को देखते हुए उल्लेखनीय रूप से बढ़ने की उम्मीद है।
- 1.2 17% की चक्रवृद्धिवार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) पर इलेक्ट्रॉनिक सामानों का घरेलू उत्पादन वर्ष 2014-15 में 1.9 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2020-21 (उद्योग अनुमान) में 4.97 लाख करोड़ रुपये हो गया है। उद्योग के अनुमान के अनुसार, वैश्विक इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी 2012 में 1.3% से बढ़कर 2019 में 3.6% हो गई है।
- 1.3 पिछले कुछ वर्षों में घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में काफी वृद्धि हुई है और यह लगातार सेमी नॉकड डाउन (एसकेडी) से विनिर्माण के पूर्ण रूप से नॉकडाउन (सीकेडी) चरण की ओर बढ़ रहा है। हालांकि, घरेलू मूल्यवर्धन केवल 10% - 30% की सीमा में होने का अनुमान है, और अब तक विनिर्माण में वृद्धि मुख्य रूप से आयातित घटकों,

उप-असेंबली / पुर्जोआदि का उपयोग करके अंतिम असेंबली के कारण हुई है। इसका कारण यह है देश में एक मजबूत सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैनुफैक्चरिंग इकोसिस्टम की कमी है।

- 1.4 डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के कुल बिल ऑफ मैटेरियल्स (बीओएम) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उदाहरण के लिए, डिस्प्ले, स्मार्टफोन के मामले में बीओएम का 25% से अधिक और एलसीडी / एलईडी टीवी के मामले में 50% से अधिक हिस्सा प्रदर्शित करता है। अनुमानों के अनुसार, भारत का डिस्प्ले पैनेल बाजार ~7 बिलियन (52.5 हजार करोड़ रुपये) अमरीकी डालर होने का अनुमान है और 2025 तक ~ 15 बिलियन (1.13 लाख करोड़ रुपये) अमरीकी डालर तक बढ़ने की उम्मीद है। वर्तमान आवश्यकताओं को विशेष रूप से आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है।
- 1.5 इएलसीआईएनए के अनुमान के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्माण क्षेत्र लगभग 10% की अक्षमता से ग्रस्त है; पर्याप्त बुनियादी ढांचे, घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और रसद की कमी; वित्त की उच्च लागत; गुणवत्तापूर्ण बिजली की अपर्याप्त उपलब्धता; सीमित डिजाइन क्षमताएं; उद्योग द्वारा अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करना; और कौशल विकास में अपर्याप्तता इसके मुख्य कारण हैं। इसे और डिस्प्ले निर्माण की पूंजी-गहन प्रकृति को देखते हुए, भारत में डिस्प्ले फैब्रि सुविधा स्थापित करने के लिए उद्योग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- 1.6 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति 2019 (एनपीई 2019) का विज़न भारत को इलेक्ट्रॉनिकी सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना और उद्योग के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना है। एनपीई 2019 की मुख्य रणनीतियों में से एक डिस्प्ले फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना को सुकर बनाना है।
2. उद्देश्य: इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए देश में डिस्प्ले निर्माण सुविधाओं की स्थापना के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करना।
3. पात्रता और भारत सरकार से पूंजी सहायता

3.1 डिस्प्लेफैब्रि

विवरण	भारत में टीएफटी एलसीडी या एएमओएलईडी आधारित डिस्प्ले पैनेल बनाने के लिए डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट्स (फैब्रि) स्थापित करने का प्रस्ताव करने वाली कंपनियां / कन्सोर्टिअ / संयुक्त उद्यम
प्रौद्योगिकी	जनरेशन 8 या उससे ऊपर की टीएफटी एलसीडी तकनीक या जनरेशन 6 या उससे ऊपर की एएमओएलईडी तकनीक
क्षमता	टीएफटी एलसीडी के लिए 60,000 पैनेल / माह या अधिक एएमओएलईडी के लिए 30,000 पैनेल / माह या अधिक
परिचालन अनुभव	आवेदक कंपनियों / संघ / संयुक्त उद्यमों के पास निम्नलिखित अनुभव होना चाहिए: क. जनरेशन 8 या उससे ऊपर की टीएफटी एलसीडी तकनीक के साथ एक वाणिज्यिक डिस्प्ले फैब्रि सुविधा का स्वामित्व और संचालन करना या ख. जनरेशन 8 की टीएफटी एलसीडी टेक्नोलॉजी के लिए लाइसेंस प्राप्त तकनीकों का स्वामित्व या अधिकार और लाइसेंसिंग या विकास के माध्यम से उन्नत तकनीकों के रोडमैप का डिस्प्ले
पूंजी निवेश सीमा	10,000 करोड़ रुपये का न्यूनतम पूंजी निवेश (100 बिलियन रूपए)
राजस्व सीमा	जमा करने के वर्ष से पहले के तीन वित्तीय वर्षों में से किसी में भी 7,500 करोड़ रुपये (75 बिलियन) (समूह कंपनियों सहित) का न्यूनतम राजस्व

भारत सरकार से वित्तीय सहायता	पूंजी सहायता	
	परियोजना लागत का प्रतिशत	अधिकतम सहायता (करोड़ रुपये)
	50% तक	12,000

4. वित्तीय सहायता

4.1 वित्तीय सहायता: पैरा 3 में उल्लिखित उच्चतम सीमा तक, यह योजना डिस्प्ले फैब्स के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

4.2 राज्य सरकार या उसकी किसी एजेंसी या स्थानीय निकायों द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त वित्तीय सहायता, यदि कोई हो, का भी लाभ उठाया जा सकता है।

5. अवसंरचना सहायता

5.1 अवसंरचना / सामान्य सुविधा केंद्रों के विकास के लिए सहायता: भारत सरकार बुनियादी ढांचे / सामान्य सुविधा केंद्र के विकास के लिए संशोधित इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना के लाभों को ईएमसी 2.0 ढांचे की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले प्रस्ताव के अधीन बढ़ा सकती है।

6. मांग एकत्रीकरण सहायता: भारत में स्थापित डिस्प्ले फैब्स को सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 के तहत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की खरीद में खरीद वरीयता के माध्यम से समर्थन दिया जाएगा।

7. अनुसंधान एवं विकास, कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए सहायता: योजना के परिव्यय का 2.5% तक भारत में डिस्प्ले पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास, कौशल विकास और प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्धारित किया जाएगा।

8. योजना का कार्यकाल: योजना के तहत सहायता छह वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी। वास्तविक इंसेटिव बहिर्वाह की अवधि को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।

9. योजना का वित्तीय मूल्यांकन : योजना का मूल्यांकन व्यय विभाग के सचिव के नेतृत्व वाली व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा किया जाएगा।

9.1 व्यय वित्त समिति इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नोडल एजेंसी के परामर्श से योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की संरचना और मात्रा का निर्धारण करेगी।

9.2 यदि वित्तीय सहायता आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से इक्विटी के रूप में प्रदान की जाती है, तो भारत सरकार की हिस्सेदारी कुल परियोजना इक्विटी के 49% से अधिक नहीं होगी।

10. आवेदन प्रक्रिया: योजना के तहत आवेदन शुरू में 01.01.2022 तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि के लिए आमंत्रित किए जाएंगे, जिसे माननीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुमोदन से बढ़ाया जा सकता है। यह योजना माननीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुमोदन से अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय आवेदनों के लिए फिर से खोली जा सकती है।

11. लाभार्थियों की संख्या: योजना के तहत अधिक से अधिक दो (2) आवेदकों को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत एक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में भी, दुनिया भर में सीमित डिस्प्ले फैब्स कंपनियों की उपलब्धता के कारण, गतिविधि की प्रकृति और, आवेदक कंपनी / संघ के चयन और अनुमोदन की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। आर्थिक वास्तविकताओं और देश में डिस्प्ले फैब होने की आवश्यकता को देखते हुए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। औद्योगिक विकास, डिजिटल संप्रभुता और तकनीकी नेतृत्व के लिए डिस्प्ले मैनुफैक्चरिंग में घरेलू क्षमताएं होना अनिवार्य है।

12. शासन तंत्र

- 12.1 नोडल एजेंसी:** इस योजना का क्रियान्वयन एक नोडल एजेंसी (इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन) के माध्यम से किया जाएगा। इस तरह की नोडल एजेंसी योजना के तहत प्राप्त आवेदनों के तकनीकी मूल्यांकन और प्रारंभिक वित्तीय मूल्यांकन; योजना और उसके दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंड के अनुसार आवेदकों के चयन की सिफारिश करना; और समय-समय पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा सौंपे गए अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगी। नोडल एजेंसी के कार्यों और जिम्मेदारियों को एमईआईटीवाई द्वारा अलग से जारी किए जाने वाले योजना दिशानिर्देशों में विस्तृत किया जाएगा।
- 12.2 योजना के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, नोडल एजेंसी अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगा:**
- 12.2.1 आवेदन प्राप्त करना, पावती जारी करना और योजना के तहत समर्थन के लिए आवेदकों की पात्रता सत्यापित करना।** जब तक नोडल एजेंसी की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आवेदन प्राप्त करेगा और आगे की प्रक्रिया को अंजाम देगा।
- 12.2.2 परियोजनाओं के तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन के साथ-साथ आवेदकों की विशेषज्ञता का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले पैनेल एजेंसी या सलाहकार को सूची में सम्मिलित करना।**
- 12.2.3 योजना के तहत उपयुक्त प्रौद्योगिकी मिश्रण, अनुप्रयोगों, उत्पादन, क्षमता, आदि, और संरचना और वित्तीय सहायता की मात्रा का प्रस्ताव करने के लिए आवेदक (ओं) के साथ बातचीत करना।**
- 12.2.4 योजना के तहत वित्तीय सहायता के वितरण के लिए पात्र दावों की जांच करना और पात्रता के अनुसार वित्तीय सहायता का वितरण करना।**
- 12.2.5 योजना की प्रगति और प्रदर्शन के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।**

13. अनुमोदन प्रक्रिया

- 13.1 नोडल एजेंसी द्वारा क्यूसीबीएस मूल्यांकन:** आवेदक का मूल्यांकन गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) मानदंड के आधार पर नोडल एजेंसी द्वारा किया जाएगा। इसमें तकनीकी पैरामीटर जैसे प्रक्रिया प्रौद्योगिकी, परियोजना कार्यान्वयन क्षमता, संचालन क्षमता आदि शामिल होंगे। इसमें सरकार से मांगी गई वित्तीय सहायता जैसे वित्तीय पैरामीटर भी शामिल होंगे। क्यूसीबीएस मूल्यांकन मानदंड का निर्णय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नोडल एजेंसी के परामर्श से और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- 13.2 नोडल एजेंसी द्वारा बातचीत:** क्यूसीबीएस मूल्यांकन की प्रक्रिया के बाद, नोडल एजेंसी उपयुक्त प्रौद्योगिकी मिश्रण, अनुप्रयोगों, नोड आकार (ओं), क्षमता, और योजना के तहत वित्तीय सहायता की संरचना और मात्रा आदि का प्रस्ताव करने के लिए योजना के तहत चयनित आवेदकों के साथ बातचीत करेगी।
- 13.3 बातचीत के बाद चुने गए आवेदक (आवेदकों) को नोडल एजेंसी द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भेजा जाएगा।**
- 13.4 केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आवेदक (आवेदकों) की स्वीकृति:** नोडल एजेंसी द्वारा अनुशंसित आवेदक (आवेदकों) को केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिए जाने के बाद, इन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आवेदक (ओं) को संचार के लिए नोडल एजेंसी को भेजा जाएगा।

14. संवितरण प्रक्रिया

- 14.1 योजना के तहत स्वीकृत आवेदकों को पूंजीगत सहायता के वितरण के लिए एमईआईटीवाई बजटीय प्रावधान करेगा।** नोडल एजेंसी द्वारा अनुमोदन शर्तों के आधार पर पूंजी सहायता का संवितरण किया जाएगा।

नोडल एजेंसी नियमित आधार पर समेकित राशि के रूप में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को बजटीय आवश्यकता प्रस्तुत करेगी।

14.2 नोडल एजेंसी द्वारा आवेदकों को परी-पासु आधार पर पूंजी सहायता जारी की जाएगी।

14.3 अनुमोदित आवेदकों को पूंजी सहायता के वितरण की विस्तृत प्रक्रिया योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित की जाएगी।

15. **प्रभाव का आकलन:** योजना का मध्यावधि मूल्यांकन इसके कार्यान्वयन के तीन साल बाद या योजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए आवश्यकता के अनुसार, स्वीकृत आवेदकों द्वारा योजना तथा अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति के अनुसार किया जाएगा। इस तरह के प्रभावमूल्यांकन के आधार पर, योजना के कार्यकाल को बढ़ाने और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से इसके वित्तीय परिव्यय को बदलने का निर्णय लिया जाएगा।
16. **योजना के दिशा-निर्देश:** योजना के दिशा-निर्देश इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा अलग से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुमोदन से जारी किए जाएंगे।
17. **योजना और दिशानिर्देशों में संशोधन:** योजना और उसके दिशानिर्देशों की समीक्षा और संशोधन समय-समय पर या आवश्यकतानुसार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुमोदन से किया जाएगा।

सौरभ गौड़, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(IPHW DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2021

Subject: Scheme for setting up of Display Fabs in India

F. No. W-38/6/2021-IPHW.—1. Background

- 1.1 Electronics permeates all sectors of the economy and the electronics industry has cross-cutting economic and strategic importance. Currently valued at around USD 2 Trillion (₹150 lakh crore), the global electronics market is expected to grow significantly given the increasing penetration of emerging technologies including 5G, IoT, Artificial Intelligence, Robotics, Smart Mobility, Smart Manufacturing, etc.
- 1.2 The domestic production of electronic goods has increased substantially from ₹1.9 lakh crore in 2014-15 to ₹4.97 lakh crore in 2020-21 (industry estimates) at a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 17%. India's share in global electronics manufacturing has grown from 1.3% in 2012 to 3.6% in 2019, as per industry estimates.
- 1.3 Domestic electronics manufacturing has increased substantially over the last few years and is steadily moving from the Semi Knocked Down (SKD) to the Completely Knocked Down (CKD) stage of manufacturing. However, domestic value addition is estimated to be in the range of 10% - 30% only, and growth in manufacturing so far has primarily been on account of final assembly using imported components, sub-assemblies / parts, etc. This is due to the lack of a robust semiconductors and display manufacturing ecosystem in the country.
- 1.4 Displays constitute a significant portion of the total Bill of Materials (BoM) of electronic products. For instance, displays account for over 25% of the BoM in case of smartphones and over 50% in case of LCD / LED TVs. As per estimates, India's display panel market is estimated to be ~USD 7 Billion (₹ 52.5 thousand crore) and is expected to grow to ~USD 15 Billion (₹1.13 lakh crore) by 2025. Current requirements are met exclusively through imports.
- 1.5 As per estimates from ELCINA, the electronic components manufacturing sector suffers from a disability of around 10% due to the lack of adequate infrastructure, domestic supply chain and logistics; high cost of finance; inadequate availability of quality power; limited design capabilities

and focus on R&D by the industry; and inadequacies in skill development. Given this and the capital-intensive nature of display manufacturing, there is need to incentivize the industry to set up a Display Fab facility in India.

- 1.6 The vision of National Policy on Electronics 2019 (NPE 2019) is to position India as a global hub for Electronics System Design and Manufacturing (ESDM) and create an enabling environment for the industry to compete globally. One of the main strategies of NPE 2019 is to facilitate setting up of display fabrication facilities.
2. **Objective:** To attract large investments for setting up display fabrication facilities in the country to strengthen the electronics manufacturing ecosystem.
3. **Eligibility and Fiscal support from Government of India**

3.1 Display Fab

Description	Companies / Consortia / Joint Ventures proposing to set up a Display Fabrication Unit (Fab) in India for manufacturing TFT LCD or AMOLED based display panels	
Technology	Generation 8 or above for TFT LCD OR Generation 6 or above for AMOLED	
Capacity	60,000 Panels / month or more for TFT LCD 30,000 Panels / month or more for AMOLED	
Operational Experience	The applicant Companies / Consortia / Joint Ventures should have the following experience: A. Own and operate a commercial Display Fab facility with TFT LCD Technology of Generation 6 or above OR B. Own or possess licensed technologies for Generation 8 of TFT LCD Technology or Generation 6 of AMOLED Technology; and demonstrate the roadmap to advanced technologies through licensing or development	
Capital Investment Threshold	Minimum Capital Investment of ₹10,000 crore (₹100 billion)	
Revenue Threshold	Minimum Revenue of ₹7,500 crore (₹75 billion) (<i>including Group Companies</i>) in any of the three financial years preceding the year of submission	
Fiscal support from Government of India	Fiscal support	
	Percentage of Project Cost	Maximum Support (₹ crore)
	Up to 50%	12,000

4. Financial Support

4.1 Fiscal support: The scheme will extend fiscal support for Display Fabs subject to the ceiling mentioned in Para 3.

4.2 Additional financial support, if any, offered by the State Government or any of its agencies or local bodies may also be availed.

5. Infrastructure Support

5.1 Support for development of Infrastructure / Common Facility Centres: Government of India may extend the benefits of Modified Electronics Manufacturing Clusters (EMC 2.0) Scheme for development of infrastructure / Common Facility Centre subject to the proposal satisfying the EMC 2.0 framework requirements.

6. **Demand Aggregation Support:** Display Fab(s) set up in India will be supported through purchase preference in procurement of electronic products by the Government under the Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017.
7. **Support for R&D, Skill Development and Training:** Up to 2.5% of the outlay of the scheme shall be earmarked for meeting the R&D, skill development and training requirements for the development of display ecosystem in India.
8. **Tenure of the Scheme:** Support under the scheme shall be provided for a period of six years. The tenure of the actual fiscal support outflow may be extended based on the approval of the Minister of Electronics and Information Technology.
9. **Financial Appraisal of the Scheme:** The scheme shall be appraised by the Expenditure Finance Committee (EFC) led by Secretary, Department of Expenditure.
 - 9.1 Expenditure Finance Committee shall determine the structure and quantum of fiscal support to be provided under the scheme in consultation with Ministry of Electronics and Information Technology and the Nodal Agency.
 - 9.2 In case of fiscal support being provided as equity either in part or in full, Government of India's share will not exceed 49% of total project equity.
10. **Application Procedure:** Applications under the scheme shall be invited for a period of forty-five days initially from 01.01.2022 which may be extended with the approval of Minister of Electronics and Information Technology. The scheme may also be reopened for applications anytime during its tenure with the approval of Minister of Electronics and Information Technology.
11. **Number of beneficiaries:** Approval shall be granted to not more than two (2) applicants under the scheme. In case of receipt of a single application also under the scheme owing to the nature of the activity and availability of limited companies worldwide which are into display fab, the process of selection and approval of the applicant company / consortia will be followed. This is especially important in view of the economic realities and requirement of having a display fab in the country. Having domestic capabilities in display manufacturing is an imperative for industrial growth, digital sovereignty, and technological leadership.
12. **Governance Mechanism**
 - 12.1 **Nodal Agency:** The scheme will be implemented through a nodal agency (India Semiconductor Mission). Such nodal agency will be responsible for carrying out technical appraisal and financial appraisal of the applications received under the scheme; recommending selection of applicants; and carrying out other responsibilities as assigned by the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) from time to time. The functions and responsibilities of nodal agency shall be elaborated in the scheme guidelines to be issued by Ministry of Electronics and Information Technology separately.
 - 12.2 For carrying out activities related to the implementation of the scheme, nodal agency would *inter-alia*:
 - 12.2.1 Receive the applications, issue acknowledgements, and verify eligibility of the applicants for support under the scheme. Till such time that the Nodal Agency is established, Ministry of Electronics and Information Technology will receive the applications and carry out the further process.
 - 12.2.2 Empanel agency(ies) or consultants as deemed necessary to carry out technical and financial appraisal of the projects as well as evaluate expertise of the applicants.
 - 12.2.3 Negotiate with the applicant(s) to propose the appropriate technology mix, applications, generation, capacity, etc., and structure and quantum of fiscal support under the scheme.
 - 12.2.4 Examine claims eligible for disbursement of fiscal support under the scheme and disburse the fiscal support as per eligibility.

12.2.5 Submit periodic reports to Ministry of Electronics and Information Technology regarding the progress and performance of the scheme.

13. Approval Process

13.1 QCBS Evaluation by Nodal Agency: The applicant(s) will be evaluated by the Nodal Agency based on Quality and Cost Based Selection (QCBS) criteria. This will include technical parameters such as process technologies, project implementation capacity, operation capability, etc. This will also include financial parameters such as fiscal support sought from the government. The QCBS evaluation criteria shall be decided by Ministry of Electronics and Information Technology in consultation with Nodal Agency and approved by the Minister of Electronics and Information Technology.

13.2 Negotiations by Nodal Agency: After the process of QCBS evaluation, the Nodal Agency will hold negotiations with the selected applicant(s) under the scheme to propose the appropriate technology mix, applications, generation, capacity, etc., and structure and quantum of fiscal support under the scheme

13.3 The applicant(s) selected after negotiations shall be proposed by the Nodal Agency to Ministry of Electronics and Information Technology.

13.4 Approval of Applicant(s) by Union Cabinet: The applicant(s) as recommended by the Nodal Agency will be placed by the Ministry of Electronics and Information Technology for approval by the Union Cabinet. After the approval is accorded by the Union Cabinet, these will be forwarded by the Ministry of Electronics and Information Technology to the Nodal Agency for communication to the applicant(s).

14. Disbursement Process

14.1 Ministry of Electronics and Information Technology will make budgetary provisions for disbursement of fiscal support to approved applicant(s) under the scheme. The disbursement of the fiscal support will be done by the Nodal Agency based on approval conditions. Nodal Agency will submit budgetary requirement to Ministry of Electronics and Information Technology as consolidated amount on regular basis.

14.2 The fiscal support will be released to the applicant(s) by the Nodal Agency on *pari-passu* basis.

14.3 The detailed procedure for disbursement of fiscal support to the approved applicant(s) will be laid down in the Scheme Guidelines.

15. Impact Assessment: Mid-term appraisal of the scheme will be done after three years of its implementation or as per requirement to assess the impact of the scheme, off-take by the approved applicants and economy in terms of the stated objectives. Based on such impact assessment, decision will be taken to increase the tenure of the scheme and change its financial outlay with the approval of Minister of Electronics and Information Technology.

16. Scheme Guidelines: The scheme guidelines shall be issued by Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) separately with the approval of Minister of Electronics and Information Technology.

17. Amendment of Scheme and Guidelines: The scheme and its guidelines shall be reviewed and amended periodically or as per requirement with the approval of Minister of Electronics and Information Technology.

SAURABH GAUR, Jt. Secy.